अपील सूचना अधिकार संख्या 21/2017 अनवानी प्रदीप दायमा पुत्र जुगल किशोर निवासी वार्ड न0 6 पदमपुर रोड पुरानी आबादी श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रदीप दायमा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रदीप दायमा ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:–

1. प्रार्थी द्वारा शिकायत विरूद्ध करतार सिंह पूनियां की शिकायत की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. शिकायत के संदर्भ में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. रिकार्ड का निरीक्षण।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे जो जबाब दिया गया है वह गलत है। इसलिए उसके द्वारा चाही गइ सूचना उसे निशुल्क उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1932 दिनांक 22.03.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 की सूचना पत्र सं0 1335 दि0 10.03.17 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है व बिन्दु सं0 2 व 3 का प्रतिउत्तर पत्र सं0 1044 दि0 28.02.17 के द्वारा पंजिकृत डाक से भिजवा दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई सूचना शिकायत एवं जांच आदि से संबंधित है जिसमें कोई लोक हित दिखाई नही देता है जिस कारण बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है ऐसा ही मत माननीय राज0 सूचना आयोग द्वारा अपील सं0 4409//2013 प्रेमकुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 15.09.15 में प्रकट किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1044 दिनांक 28.02.17 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1. प्रार्थी द्वारा शिकायत विरूद्ध श्री करतारसिंह पूनियां की शिकायत की प्रमाणित प्रतिलिपि।	शिकायती पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय में दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर कुल छः पृष्ठो के 12/– (अखरे बारह रूपये मात्र) जमा करावें। ताकि आप द्वारा वांछित नकले/सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।
2. शिकायत के संदर्भ में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	वांछित सूचना जांच कार्यवाही से संबधित है, जो सूचना की परिभाषा में नही आता है। अतः सूचना देय नही है।
3. रिकार्ड का निरीक्षण।	आप द्वारा जिस रिकार्ड/पत्रावली का निरीक्षण किये जाने का उल्लेख अपने सूचना आवेदन पत्र द्वारा किया गया है वह पत्रावली जांच कार्यवाही से संबधित है, जांच कार्यवाही लोकसेवक एवं नियोक्ता के बीच विश्वासश्रित प्रकरण है। इसलिए विचाराधीन जांच प्रकरण की सूचना देना अथवा जांच पत्रावली का निरीक्षण करवाना उचित नही है। अतः राजस्थान सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 15.09.2015 के अनुसार तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित सूचना देय नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

राज्य लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दु सं0 1 की सूचना पत्र सं0 1335 दिनांक 10.03.17 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

बिन्दु सं0 2 व 3 की अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना श्री करतार सिंह पूनिया की जांच से संबंधित है पत्रावली में उपलब्ध में माननीय सूचना आयोग के अपील संख्या 4409/2013 श्री प्रेम कुमार बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 15.09.2015 में भी माना गया है कि लोक सेवक के खिलाफ शिकायत एवं जांच आदि की सूचना लोक सेवक एवं नियोक्ता के बीच का विश्वासाश्रित प्रकरण है। ऐसी सूचना का प्रकटन लोक हित में निहित नही है और ऐसी सूचना अदेय है और प्रत्यर्थी को भविष्य में ऐसी सूचना प्रदान नही करने के लिए निदेशित किया गया है।

इस प्रकार राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 28.02.17 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर